

फॉर्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो किशन लाल गोदानी : 2. वर्तमान धारित पद बुजुर्ग अधिकारी
3. वर्तमान वेतन ₹५५५५०/- — अगली वेतनवृद्धि की तारीख ३१ दिसंबर २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<u>लागड़</u>	<u>८२४</u>	-		<u>एकांकी १८५१२०</u> <u>क्रपटू</u>	<u>८२१८</u> <u>८१८५२</u>	<u>३०२५</u> <u>८२०१५</u>	<u>१०२०</u> <u>१०२०</u>	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरोक्ति है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विवरित में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकें पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम किशन लाल गोदानीपद बुजुर्ग अधिकारी

ग्रामीण
४१३२०

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो महाल लाल टांगा 2. वर्तमान धारित पद कर्मचारी
3. वर्तमान वेतन ५७५०.००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ५३ म. १. २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	तंपत्ति का नाम तथा व्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट आ अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
महाल रामदेव गांव कोली (महाली)	कोली (महाली) 600 एकड़ियां	—	कोली (महाली) कोली (महाली)	कोली (महाली) कोली (महाली)	(कोली) वर्षते ८ एकड़ियां वर्षते ८ ३५ प्रति वर्ष	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पट्टे भी सम्पत्ति हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरोक्षत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि वे पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रमुखत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

महाली (महाली)

फ्रांस

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **कान्ता प्रसाद टिक्कूले** 2. वर्तमान धारित पद **कठा अधिकारी**
3. वर्तमान वेतन **69112/-** 3. अगली वेतनवृद्धि की तारीख **माइल चैपलामुख**

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें सम्पत्ति स्थित हो	सम्पत्ति का नाम तथा व्यौर	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	सम्पत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
किला भोपाल ग्राम: लालुखड़ी	मकान-०३ मंदिर-०।	निर्कं	शात नहीं	पैकूक सम्पत्ति	पैकूक सम्पत्ति	निर्कं	पैकूक संपत्ति है। कार भाई खंभामुख कुल ०५ सदस्य है जिनमें बटवारा गहरा हुआ है।	

• जहाँ दाग न हो काट दीजिए।

• ऐसे मूल्य में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहा वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगाएगा मूल्य बतलाया जाए।

• इसमें भल्कारीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मा यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा दूसरी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिकत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उस में वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अधित अध्या उसे विवरस्त में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में।

हस्ताक्षर

गम **कान्ता प्रसाद**
पद **कठा अधिकारी**

मा.डि.भ.म.प्र. ओपाल
‘आवक कंक्ष’
25 FEB 2020
लोकल डाक काउन्टर
डिलिंग हस्ता.....

2 व्याप्ति अंक
५१२०

GAD Forms (W) 1

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०१९-२०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ।
अशोक कुमार कैथवास २. वर्तमान पासिं पद निं० संभागीय अधिकारी
 ३. वर्तमान वेतन अप्सी वेतनवृद्धि की तारीख ०१-०७, २०२० स्थायी स्विवेचन

उस जिले, उप संचाग, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यर्ति		वर्तमान मूल्य	यदि स्वर्य के नाम पर न हो तो वर्तलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
A-65. अभिनवन नगर सुखलिया पूर्व	गृह	—	45 लाख लगभग	स्वेच्छा	वर्ष १९९४ से १९९९ तक आसान किए गए सुखलिया साव सांथा से प्लाट कृत ढिया जाया एवं बैठ लगेन लगा तथा स्वेच्छा के बेतन की बचत से २००२-२००३ में ब्रवन का निर्माण कराया गया।	लगभग 84000/- वार्षिक	

* बहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे माहजे गे जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विधि के सन्दर्भ में सापेक्ष मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पर्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : माध्यमिक शासकीय सेवक ('आवक') नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम ब्रेणो, द्वितीय ब्रेणो तथा तृतीय ब्रेणो सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरोपित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अधिकारी दें प्रशासन, यह दोषणा पड़ पर का प्रत्युत करै और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अस्था उसे यिरासत में मिलो या उसके द्वारा जाग या उसके परिवार के किसी गदस्य के नाम पर या किसी अन्य छाकित के नाम पर पटें या बंधक या उसके द्वारा आवल समस्त अचल साप्ति के नाम पर हैं।

हस्ताक्षर

नाम **अशोक कुमार कैथवास**

पद निं० स्थायी स्विवेचन
संभागीय कायलिय
मार्गि भूमि सागर (मिठौ)

W. 229 - २ व्याप्ति अंक ७००
152/

Hindi
8
30/11/20

फार्म

प्रश्न नियुक्ति के समय अबल शम्भव वर्षा दिवारण, वर्ष १०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (ए) नाम जहा उस मेंका का नाम, जिसमें वह हो

आर.पी. बेरहिया

2. वर्तमन पालि पद

संभागीय अधिकारी

3. वर्तमान वेतन 71100/- आम्ही वेतनमुद्दीप की तारीख 01/07/2020

उमंजिते, उप संघण, तातुका तथा शाश्वत का नाम तथा चीरे अधिकारी स्थिति	संघण का नाम तथा चीरे		यदि स्वर्ण के भ्रम पर न हो तो वहां इसे कि इसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी तो क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया		संपत्ति से वार्ता की आवश्यकता नहीं है	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(1) जिला भुरुना व्याप-डोंगरपुरलोधा	-	श्रीमि (तीन वीधा)	भ्रगभ्रग 4,00,000 (चार लाख)	विरासत में	विरासत में	Nil	
(2) जिला ऋवालियर म.प्र.	आवासीय घृण	-	भ्रगभ्रग २५,००,००० (चालीस लाख)	घृण पील के नाम से हैं	घृण क्रय किया गया है।	Nil	

* वहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे यामते में जहां मूल्य का अद्वैती-सही निर्धारण करना संभव न हो, तो नहां वर्तमान विकलि के सम्बन्ध में सावधान मूल्य बतावाया जाए।

*** दूनमें अत्यक्तस्त्रीय स्ट्रटे भी लक्ष्यित है।

टिप्पणी : संघादेश शासकीय सेवक (अधिकारी) नियम, 1959 के नियम ४(३) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवक के प्रत्येक वर्षदर में यह अपेक्षित है कि एट नेशन व्यापत्ति के समय और उसके बाद प्रथम श्रेणी ने अपनी वर्षा वार्ता, यह पीढ़ी-पाद भर कर प्रकृति की ओर उत्तर्व वह उन्नत व्यापत्ति की तथा उसके द्वारा अंजित अवश्य कर्त्ता तथा विवासत में विलो या उसके लिए नाम भर एवं उसके विविकार के किसी शदृश के नाम भर किसी अन्य जनित के नाम न रखें या वेदार्थ स्वरूप उसके द्वारा आवासीय संवर्तन अबल शम्भव के लिए है।

W - 229 - (प्राप्ति) ऑ - ८०८ -

हस्ताक्षर

प्रम् आर.पी. बेरहिया
संभागीय अधिकारी
संभागीय कामालिय मार्शी
म०डल ऋवालियर

फॉर्म ८४१
२०/१२

दाखि

*प्रथम नियुक्ति के बाद जल संपत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

१. अधि कारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

सुरेश कुमार बाबूराम

वर्तमान धारित पद

कद्य-अधिकारी

३. वर्तमान वेतन ५२,६००/-

नियमानुसार अवै.

वर्तमान वेतनवृद्धि की तारीख ०१.०७.२०२०

उपर जिले, उप भाग, तालुका
तथा ग्राम का - १३, जिसमें
संपत्ति स्थित हो

संपत्ति का नाम तथा व्यौ

गृह तथा अन्य भवन भूमि वर्तमान मूल्य

जहाँ के गांप पर न हो तो
इवे कि वह किसके नाम
आजित है और उसका
गम्भीर कर्मचारी से
व्या संबंध है

उसे किस प्रकार अजित किया गया
०० खुगोद, पट्टा, बंधक, विरायत,
भेटा अन्य किसी प्रकार से
तथा अर्जन की तरीख और जिससे
अजित की गई हो उसका नाम
तथा व्यौग

संपत्ति से
वार्षिक आय

अभियुक्ति

(1) (2) (3) (4)

(5) (6)

(7) (8)

ग्राम - मड़ारी

फ्लाट
20x50

नियमानुसारी

४ भाव

संभुवत

सुरेश कुमार बाबूराम

स्वयं ले व्यत

८।००लोन तो साधी

निर्कु-

ल्ल - कुरुर

१५००

अवृमानि-

स्व

सुरेश कुमार बाबूराम

लोन पी. ए. इया

गिला - भोपाल

नियमानुसारी

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहा वर्तमान स्थिति के अनुसार उसका मूल्य घटाया जाए।

*** इसमें अल्पक लोन परटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : पर्यावरण शासकीय सेवक (आवास) नियम, १९८० के नियम १८(३), के अधीन प्रथम लागू होने वाला नाम सुनील बेंगी सेवा के प्रत्येक वर्षाय से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में जल संयुक्ति के समय और उसके बाद अल्पक लोन परटे हैं। इसका अर्थ है कि वर्षाय वह घोषणा पर भर का फ्रूट की ओर उसमें वह उनमें स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अजित अधिकारी उसे विवासत में विली या उसके द्वारा दर या उसके परिवार के नाम पर या निसी अन्य लाभित के नाम पर परटे या बंधक पर उसके द्वारा दर या समस्त अवैल दरों पर है।

दस्तावेज़

केश अधिकारी

कर्मचारी विवासत
मालाल लोन व्यवस्था, भोपाल

23.1.2020

W. 229 - २०१५ (अ) अ. ७८० -

प्रार्थना दस्तावेज़

फ्रार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती ईंटिलजा चौहानी चौहान**: 2. वर्तमान धारित पद **प्रभारी विद्योचित**
(सहायक प्रस्त्रभाषक)
3. वर्तमान वेतन **आर.पे. ६६००/-** आगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई २०२०**.

उत्तर जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्ति का नाम तथा और संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा और ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1. ग्राम- घुना अंडी अंताल	-	०.३३ एकड़ क्षम भूमि १६५००/-	-	वर्ग के नाम पर	श्वरीदा - अक्षयवर पर १९४८ श्री उच्चल रहमान से	५८	-
2. ग्राम- बजुरी कुलों अंताल	-	०.२३ एकड़ क्षम भूमि १८,५००/-	-	-	श्वरीदा - भार्चा पर १९९१ श्री अहलाद सिंह बावडिंगा कुलों से	५८	-

जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे सामने में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

इसमें अत्यक्तालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम ब्रेणी, द्वितीय ब्रेणी तथा तीव्र ब्रेणी सेवक के प्रत्येक सदस्य से यह

अनुरोध है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परिवार यह धोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करे और

उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा धारा धारित अथवा उसे विरासत में दिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

पर या किसी अन्य जीवित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के और हैं।

हस्ताक्षर ३.२.२०२०

नाम **श्रीमती ईंटिलजा चौहानी**पद **प्रभारी विद्योचित**

फार्म

प्रधम नियुक्ति के समय अवलोकन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पृष्ठा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो।

अवलोकन सम्पत्ति प्रधम नियुक्ति के समय अवलोकन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

३. बर्तमान वेतन ७५०००/-

आवासी बंदूद्दी की तारीख १५ अक्टूबर २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा वर्गीकरण	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*कर्मान मूल्य	यदि स्वयं के भाग पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
रायपुरी नवीन विधायिका २०२०	लैटर्न	-	५०.लौक	२५५ के ७१५	२०२० में १५८५/- २५५/-			

जहां सारा न हो काट दीजिए।

ऐसे पानी में जाहां मूल्य का सड़ी-सही निर्धारित कला संभव न हो, वहां बर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में संग्रहा मूल्य बतलाया जाए।

*** दूर्घट अल्पकालीन घटने भी समिलते हैं।

टिप्पणी : यथावद शासकीय सेवक (अवलोकन) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधम ड्रेगो, द्वितीय ड्रेगो तथा द्वितीय ड्रेगो सेवा के प्रत्येक उद्दम्य से यह अर्जित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके अद्यत्येक बाह्य महीनों की अवधि के प्रत्यावर्त यह दोनों वर्ष ५८ का प्रत्युता करे और उसमें वेंड ड्रेगो स्वर्गित करा उसके द्वारा अर्जित अध्ययन उसे विद्यालय में निलें। या उसके द्वारा नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य जालिये के नाम पर पट्टे या चंद्रपत्र पर उसके द्वारा प्राप्ति समस्त अवलोकन सम्पत्ति के व्याप्रे हैं।

राजस्थान

नाम

पद

IBRAHIM NAND
Divisional Officer
Board of Secondary Education
JABALPUR (M.P.)

W-229-29/451 रु. १०० -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

ग्रन्थालय
१२/२०

१. अधिकारी/ हर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मुकुशा ३३८८५ मालवा २. वर्तमान धारित पद की. ए. बिजु. बिहु.

३. वर्तमान वेतन ७७००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख July 20

उप जिले, उप संभाग तथा ग्राम का नाम, संपत्ति स्थित है	तालुका जिसमें	संपत्ति का नाम तथा और	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा और	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)		
भोपाल	भुज	मिठू	५० लाख अमानित	५० लाख प्रति वर्ष	प्रति वर्ष ५००००० के नाम	शुल्क छोड़ ५००००० भोपाल ०५/२०१५ भावली राज २०१५/१०० ३०००० मेलान लोक	५००००	—	
वे २१११.६	भुज	निरुद्ध	६० लाख अमानित	६० लाख प्रति वर्ष	प्रति वर्ष	प्रति वर्ष ५००००० प्रति वर्ष ५०००००	५००००	—	
ग्राम साईलालेडी विजयारवाड वडा भुज	—	—	०६ लाख प्रति वर्ष	०६ लाख प्रति वर्ष	प्रति वर्ष ५००००० के नाम पर	प्रति वर्ष ५००००० (प्रति १५०० से)	५००००	—	

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या विनाशी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के और हैं।

हस्ताक्षर

31/11/2020

मुकुशा कुमार मालवा
नं ६१५८ भिहु

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

५ जून १९६१
३।।।।।०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ३६५ कुंगा २५ 2. वर्तमान धारित पट कल्प/प्रियंका
 3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख ३।।।।।०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया जाय	संवर्ति से वर्तमान आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
कोपाल कोपा	N.I.	2753 कर्गुड़ी कोपा	क्षात्र नी	पर्गे के ५३	कल्प २०१५-१५ वर्षावृद्धि			

* जहां हागू न हो काट दोजिए।

** ऐसे म.मले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में हागूग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें इल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह छोड़ा या पत्र भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरासत में छिल्की या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के घृणे दें।

हस्ताक्षर

नाम

३६५ कुंगा २५
कल्प/प्रियंका

दर

संपत्ति

*प्रथम नियुक्ति के समय अवधि तथा स्थिति का विवरण, वर्ष २०२०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीभट्टी संगीता शादि २. वर्तमान धारित पद

३. वर्तमान वेतन ९३०० + ३४८०० + ५२०० इत्याली वेतनवृद्धि की तारीख ०१.०७.२०२०

बाध्यकारी

उस जि. से, उप संभाग, तालुका तथा दूसरा नाम, जिसमें संघर्ष स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यहि लायं के नाथ पर न हो तो बहलाइये कि वह किसके नाम के धारित हैं और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पिंड	१०२५	१०२५	१०२५	१०२५	१०२५	१०२५	१०२५

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सहो-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में संभाग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अत्यवर्गीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अत्यवर्ग) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रसुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या जिसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर Sangeeta
नाम २५ अगस्त २०२०
पद बाध्यकारी

W. 229 - २५८५८) रु. ७०० -

फैसले दिन
८ जून २०२०

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (प्रूष) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो मान श्री, ऑफिस अधिकारी 2. वर्तमान धारित पद अधिकारी
3. वर्तमान वेतन 59100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१/०७/२०२०

उसका नाम, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संचालित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौग		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमान विवरण कि वह किसके नाम पर भारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				N.C.			

* जहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान विधिति के सन्दर्भ में लागभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पक द्वारा पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्याह्न शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्पित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि ते पश्चात् यह छोड़ा भर कर प्रशुत करें और उसमें कि उनके स्वाधिकार को तथा उसके द्वारा अर्जित अर्थवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या इसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा भारित समस्त अचल सम्पत्ति के लिए हैं।

हस्ताक्षर

नाम

०५/०६/२०२०

वद

३०

प्रथम
नियुक्ति8
TR/20

फ़ार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : पुढीपु कुमार कडवर

2. वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन ... 5000/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... 01.07.2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
सोनर	M.T - entas 100 रुपु कोली,	मठक	26,00,000/-	स्वयं	मठ 2020-01-01	125	
सोनर	ग्राम विवरण 100 रुपु कोली जिला सोनर	(लांड)	7,00,000/-	स्वयं	मठ 2020-01-01 प्र-125. 01-01	125	
सोनर	ग्राम विवरण 100 रुपु कोली	(लांड)	5,50,000/-	परिवार	मठ 2020-01-01 प्र-125. 01-01 सोनर 2020	125	

* जहाँ लागू न हो कट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अर्पेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारी उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे दें।

हस्ताक्षर

ग्राम

पद

28/01/2020

पुढीपु कुमार कडवर

कडवर

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

प्राप्ति ८१
उक्ति ८२१२०

१. अधिकारी/कर्मचारी का

(प्रा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : सुरेन्द्र छात्रवल २. वर्तमान धारित पद : कालाधिकारी

३. वर्तमान वेतन ५९५०० + ५९५० अगली वेतनवृद्धि की तारीख : १. जून २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका
तथा ग्राम का नाम, जिसमें
संपत्ति स्थित हो :

संपत्ति का नाम तथा व्यौरा	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यह स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>Nil</u>	<u>—</u>

* जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पाकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके आद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्राप्त करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकारों उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बारे में हो।

हस्ताक्षर

नाम

पद

सुरेन्द्र छात्रवल २०२०-
कालाधिकारी

W. 229 - १. प्राप्ति ७८ -

CAD Forms (W) 1

फिल्म ६३।
८/१/२०

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अधिक सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो । डॉ मानोदेव स्टोल्फी २. वर्तमान धारित पद ०८८ अभियानकारी

३. वर्तमान वेतन ४८१००/- अगती वेतनवृद्धि की तारीख ०५/०८/२०

उस जिले, उप संचाग, तालुका तथा प्राप्त का नाम तथा व्यौरे जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकोय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१. ५०८८८१२१२८ ८११२-२१५ २००५०१ १३१०१ - २००५०१ ५०.५०	३२८०५	-	१२ लाख ट्रॉय अनुमानित	१२१२४८८१२१२८ ४११२१२१२८१२८ ट्रॉय की घटल	१२१२४८८१२१२८ ४११२१२१२८१२८ ट्रॉय की घटल	-	-

- जहां लाग न हो काट दीजिए।
- ऐसे प्राप्त हैं जहां मूल्य का सही-सही निधरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में साधारण गूल्य बतलाया जाए।
- इसमें अत्यक्तीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सम्प्रदेश शासकोय सेवक (आवास) नियम, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसी श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अंजित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के प्रत्यावर वह भोवणा-पत्र भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उत्कृष्ट स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अवश्य उसे विवासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर भा किसी अन्य जाति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल साप्तति के भ्योरे हैं।

रस्ताकर ... भारत
नाम ३१२११२१२१२८१२८१२८
पद ०८८ अभियानकारी
मा ०६८८८१२१२१२८१२८१२८
५५.५०

८०.२२९-२८५८१३८-८००

फ्राम

प्रधम नियुक्ति के संघर्ष अबल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो देवेन सोनवानी
 2. वर्तमान पारित पद कक्ष-अधिकारी
3. वर्तमान बेतन 48100/- आगली बेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई-2020

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्त का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अधियुक्ति	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
① श्रावा-विसौरा पोस्ट-अमगवां तहा-निवास जिला-मण्डल (मु.)	गृह	-	७ ब्लाव (नौलाव भाव) सोनवानी सेव्हाई पिनाजी	स्व. श्री फागुनलालजी विरासत (चैन्टक यम्भति)	-	-	
② अमून पेन्लेस S-13 'B' सेक्टर निपानिया-दूर्दर	भवन ४२५ वर्गफीट	२६ ब्लाव (४१०वीस लाव भम्भग)	-	L.T.C हाइसिंग फायनेस कं. लिमि. रु. कृष्ण (न्योन) लैट्रिक्स	65000/- (पैसठ छाव) द्विरात्रि कृपभप्पन		

- जहां साग न हो काट दीजिए।
- ऐसे यापने पे जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संघर्ष न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में सागभग मूल्य बताया जाए।
- इसपे अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : सम्पर्केश शासकीय सेवक (अधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधम ब्रेणो, हिंदीय ब्रेणो तथा त्रिंशीय ब्रेणो सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अंजित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परिवार वह योवयः पत्र भर कर असुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अंजित अस्था उसे विवरण में मिली वा उसके द्वारे नाम पर या उसके परिवार के किसी रायस्य के नाम पर या किसी अन्य उद्दिष्ट के नाम पर पट्टे या बंधक गर उसके द्वारा धारित जामरा अबल सम्पत्ति के अधीन हैं।

W. 229 - २ पाँच रु. १०० -

देवेन सोनवानी
कक्ष-अधिकारी
इन्द्राजाली काथलिय
आद्यमिन शिखा भजल (मु.)
३ दिन

फ्रार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो की-की-२१४८८८८ 2. वर्तमान धारित पद का. अ.

3. वर्तमान वेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उप जिले, उप संस्था गांग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्थिति के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
रोपाल	गृह	-	-	पत्नी	लाल	-	-	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मापदूर्में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पक सीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अध्यक्ष उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या विसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधकें पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के छोरे दें।

हस्ताक्षर

नाम

पद

की की २१४८८८८
का. अ.

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अवलोकन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

फार्म नं ८१२१
८१२१

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रीमती आषा लिले 2. वर्तमान पारिश पद काशी गोदावरी
3. वर्तमान वेतन 59100/- अगस्ती वेतनवृद्धि की तारीख 01-07-2020.

उप जिले, उप संघाग, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संभवतः स्थित हो	तंत्रिका का नाम तथा अंकीत	ग्रह तथा अन्य भवन	पूर्ण	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वार्य के नाम पर न हो तो भवताई कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका ज्ञासक्तीय कर्मचारी से ज्ञान संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जबलपुर	एक्ट-१८५८	-	435	100000/-	लाख वार्षिक	लमड़िया विल्ड जबलपुर	३००००	
			तर्फ पुर			होम लोन ३०८		

जहां लागू न हो काट दीजिए।

एटो मानदेश में जहां भूम्य का सही-सही निर्धारण कठोर संभव न हो, वहां वर्तमान विधिके सन्दर्भ में लाग्याग्य मूल्य बतलाया जाए।

इनमें अस्वाक्षरीय घट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : प्रधानमंत्री शासकीय सेवक (वर्तमान) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक वर्द्धमान से यह अंजित है नियम वर्तमान में पहली नियुक्ति के समय और उसके अन्दर प्रथम वार्ष महीने की अंजित है परवान् यह घोषणा पर भर प्रत्युत्तर की ओर उसमें वह उन्नीस स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अथवा उसे विधानसभा में मिलते थे। उसके उपरी नाम पर यह उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर यह किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बदला पर उसके द्वारा प्राप्ति समस्त अवस्था अवस्था भौतिक है।

हस्ताक्षर

नम ८१२१
दिन ११ अगस्त
वर्ष २०२०
काशी गोदावरी

१९७८/८
८

प्रार्थ

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०७०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमति द्वारात्रि Rie** 2. वर्तमान धारित पद **उद्योगिका**
3. वर्तमान वेतन **५९५००/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **५६५८/-**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

रुपये

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह शोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षित को तथा उसके द्वारा अंजित अवधा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक एवं उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

श्रीमति द्वारा री

५६५८/-

फोर्म

प्रधम नियुक्ति के समय अबलु सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो — महेन्द्र कुमार डोंगर
 2. वर्तमान भागित पद कक्षा/दाखिला
 3. वर्तमान वेतन 49500/- आगामी बैतानवृद्धि की तारीख ३० जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्यवे	ग्रह तथा अन्य भवन	पूर्ण वर्तमान मूल्य	यदि सवय के भाग पर न हो तो नवलाइंग कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से तथा संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***सारें, पट्टा, बंधक, विरापत, भेट वा अन्य किसी प्रकार, से तथा अर्द्ध की तारीख और जिसमें अर्जित की गई हो उसका नाम तथा न्यौता	संपत्ति से कार्यक आय	अधिवक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
अबलुपुर	गृह	—	एकमात्र 18लाख	एकमात्र 18लाख	पारिवारिक लियोग PF से जाल राशि LIC से लोक	—	—

* जहाँ लागू न हो कठि दीर्घिन्।

** ऐसे प्राचीन में जहाँ मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विवरि के सम्बन्ध में लगापाए मूल्य लिया जाए।

*** इनमें अस्पतासीन घटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : गोपनीय शासकीय सेवक (अवधारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक हास्त्र से यह अर्द्धवार्षिक है कि उन सेवा में पहली नियुक्ति के सवय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने भी अवधारित हैं। प्रधान यह योवयः पर भर कर प्रशुता की ओर उसमें वह उनके स्वतंत्रता को बढ़ा उसके द्वारा अर्जित अवधा उसे विवासत में मिलते या उसके द्वारा नाम तथा उसके परिवार के किसी समस्य के नाम पर या किसी अन्य जाति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा प्राप्ति संस्करण अबलु साप्ताहिक पर्याप्त है।

हस्ताक्षर (MK)

नाम

पद

महेन्द्र कुमार डोंगर²⁰²⁰
कक्षा/दाखिला

W-229-2459) रु 700 -

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवलोकन सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

ग्रन्थी दली

8/1/20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पुरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो कुल्लु कुमार इराज़ 2. कर्तमान धारित पद छत्ता आदिलारी
3. बर्तमान वेतन 49,500/- आज्ञा बंतवृद्धि की तारीख 01/07/2020
- 4200+

उस किलो, उप संभाग, तालुका तथा प्राप्ति का नाम तथा अधीकारी संघर्षित हो	तंत्रित का नाम तथा अधीकारी	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*कर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहलाईये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से यदा संरेख है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
जबलपुर	कुल्लु	—	—	40,00000=00	स्वयं	S.B.I क्रेडिट लोन	36000=00	

जहाँ लागू न हो काट दीक्षिण।

ऐसे प्राप्ति में जहाँ भूमि का सही-सही विवरण करना होता है, वहाँ बर्तमान विवरण के सन्दर्भ में लाभप्रद मूल्य बहलाया जाए।

इनमें अल्पकासीप घट्टे भी सम्भवित हैं।

टिप्पणी : यथार्थेता शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तीसी श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदन्त से यह अर्थात् है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु मर्हने वाली अवधि है। परंतु यह भौवणी पर भर प्रत्युत्ता की ओर उसमें वह उन्नीस स्वाक्षित को देता उसके द्वारा अर्जित अवधा उत्ते विभासत में मिलते या उसके ज्ञानी नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य वर्तित के नाम पर पट्टे या बैधक पर उसके द्वारा प्राप्ति सम्पत्ति अवलोकन सम्पत्ति ये भी होते हैं।

हस्ताक्षर : Omam

नाम : कुल्लु कुमार इराज़

पद : छत्ता आदिलारी

W-229-2 पार्ट 1 रु. 50/-

8 मार्च 1961
8/301120

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अवृत्त सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम वहाँ उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो २. वर्तमान पारिवहन
३. वर्तमान बेतन ४९५००/- ०१/०७/२०२० आगामी बेतनवृद्धि की तारीख

कृष्ण अधिकारी

उमं जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम वहाँ लिखे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के भ्रम पर न हो तो जहाँसाइये कि वह किसके नाम पर पारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से बना संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से चार्चिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
(१) युकुनाथनगर भिष्ठ जिला भिष्ठ (म.प्र.)	आवासीय भवन २५×५० फीट	—	६८०००	पत्नी के नाम	प्रेत्रिक श्रमिक विक्रय कर प्लॉट क्रय कर (आवासीय निभागि कार्य कराया।	Nil.	Nil.
(२) कर्गवा ग्रामीण भुशरठवालियर म.प्र.	२४×५२ फीट	—	१,३०,०००/-	स्वयं के नाम	जी.पी.रुक्का आहुषण कर प्लॉट क्रय किया।	Nil	Nil.

जहाँ वाग् न हो कर दीजिए।

** ऐसे प्राप्त होने वाली सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधिवति के सदर्व में समाधान मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन रद्दे भी दृष्टिभूत हैं।

टिप्पणी : सप्तराश शासकीय सेवक (योग्यता) नियम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रथम छेष्ठे, द्वितीय छेष्ठे वहाँ वहाँ वी अवृत्ति के प्रत्येक वर्ष में यह
अनुसूचित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक वर्ष महाने की अवृत्ति के प्रत्येक वर्ष में यह
उसमें वह उचित व्यापारित को लाय उसके द्वारा अर्जित अवृत्ति उसे विताया या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम
पर या किसी अन्य जाकिक के नाम पर रद्दे के बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवृत्त सम्पत्ति के ब्यांदे हैं।

हस्ताक्षर

मा.

पर

आर. रन. दोहरे
कृष्ण अधिकारी

माहशि. म. ऋवालियर

प्रार्थ

*प्रथम नियुक्ति के समस्त अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो : *महान् भाई*

वर्तमान धारित पद

महान् भाई

3. वर्तमान वेतन *60500+DA*

अगली वेतनवृद्धि की तारीख *जूलाइ २०२०*

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्लौरी	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
<i>दोशांगा बाड़ी</i>	<i>७१५००२७</i> <i>मैलापुरा</i> <i>पट्टे ले</i> <i>लाल</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>स्वयं के नाम</i> <i>पट्टे ले</i> <i>लाल</i>		<i>—</i>		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे प्राप्त होने वाले सम्पत्ति का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में साधारण मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पका तीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा गत भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अधिकार उसे विरासत में खिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या विनाम्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्लौरे हों।

हस्ताक्षर

नाम *महान् भाई*

पद *महान् भाई*

कार्य

प्रथम नियुक्ति के सभी अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो। 8/1/2019 तक 211 कम।

2. वर्तमान धारित पद

विभागीय अधिकारी3. वर्तमान वेतन 69000/- P.A. अगाही वेतनशुद्धि की तारीख 01.07.2020

उप जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्रौडे	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गढ़ीला	गढ़ीला 1800 एकड़ी (ग्राम शमिल)	-	4500/-	200/-	200/-	200/-	200/-	200/-	200/-
गढ़ीला	गढ़ीला (1000 एकड़ी) (ग्राम शमिल)	-	1000/-	200/-	200/-	200/-	200/-	200/-	200/-
गढ़ीला	- 25/- 1200 एकड़ी (ग्राम शमिल)	-	25/- 1200 एकड़ी (ग्राम शमिल)	1200/-	200/-	200/-	200/-	200/-	200/-

जहां लाग न हो काट दीजिए।

** ऐसे पालने में जहां मूल्य का सही-सही विभाग लगाना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के समर्थने से लगाना मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यक्तान्तर पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदर्थ से यह अनेकांश वाले सेवा में पहसुनी विवृति के समान और उसके बाद प्रत्येक बाह्य महाने की अवधि है। परन्तु यह योग्यता-पत्र पर कर प्रतुत की ओर उपर्युक्त वाले उसमें स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अनित्य अन्यथा उस क्षिप्रता में निलीय या उसके द्वारा नाम पर या उसके उत्तिवास के किसी भावस्थ के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या चंपक पर उसके द्वारा धारित नमस्त अचल सम्पत्ति के रहीरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम महानी शोभा नालू
वर्ष 2010. जून 10 2010 3000

(W. 229 - २ पाँच) रु. ५०० -

फार्म

"प्रथम नियुक्ति के संघर्ष अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **कर्णन्दिन रायकर्णवार** २. वर्तमान धारित पद **कर्णन्दिन अधिकारी**
३. वर्तमान वेतन **49500/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **०१. जुलाई २०२०** मिलिए ८/३१११०

उस जि ते, उप संभाग, तालुका तथा प्रभा का नाम, जिसमें संघर्ष स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओपाल	एट	-	21,00,000/-	व्यें एवं पल्ली के नाम	दोमलोन ने अरीदा गांव (०२ बर्षपूर्व)	nil	nil

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मा मर्दे में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागू भए मूल्य बताया जाए।

*** इसमें भूत्यकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मरप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अंकित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने कम्य पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के घैरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **कर्णन्दिन रायकर्णवार**

पद **कर्णन्दिन अधिकारी**

फ्राम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ममता रवि पाल 2. वर्तमान धारित पद स्वतंत्र 3. वर्तमान वेतन ७९९००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख फरवरी २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा ब्लौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
H.NO 66 NB HOMES दिल्ली	लोट 22X45 TOTAL ७९०० वर्गफीट			ममता रवि पाल स्वतंत्र	PNB बैंक ज्ञे लोन लिया		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यक्तालीन पटेटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा-भत्ता भर कर प्रद्युम्न करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अर्थवा उसे विरासत में भिन्नी या उसके अपने नाम पर या उसके पतिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पटेटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्लौरे हैं।

हस्ताक्षर २२.२.२०२०नाम ममता रवि पालपद स्वतंत्र२१.२.२०२० समाचार

992/खाता
22/12/2020

फ्राम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ३५७१ कुमार ठाकुर 2. वर्तमान धारित पद २५६१८८ साचेत
3. वर्तमान वेतन ₹. ११००/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ०१.०७.२०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
ग्राम- वैगडा, चिंचवडी जिला - श्रीपाल मुमुक्षुक	वैगडा ३०४.५५ वर्ष २०१८ का टॉप	—	ज्ञात नहीं	२०५ के नाम	२०५ के नाम साथनों से लैटरी विशेष से ग्राहक छाक वर्ष २००९ मा।	निरीक्षा		
H.N.-12 डी.के.गोप्तव, केस-३ वावाडा-पाल्ला, दिनापाना २२८१२-८ के पास ओपाल झ.क.	११.६० एकड़ी कुट्टी का टॉप पर निर्मित भवन	—	ज्ञात नहीं	२०५ रुपये परना के नाम पर इस विवाह का राखा २८.५० पाला रुपये टॉप बैठने के ३२ लाख १२६ ग्राम धारा नं २ के लिए।	२०५ रुपये परना के नाम पर इस विवाह का राखा २८.५० पाला रुपये टॉप बैठने के ३२ लाख १२६ ग्राम धारा नं २ के लिए।	निरीक्षा		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अध्यात्म उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम
पद
उमेश ठाकुर
(संहायक सचिव)

W. 229 - २०१५ अ. ७०० -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **भारीती लाभकुमार** 2. वर्तमान धारित पद **महोदय लाभकुमार**
3. वर्तमान वेतन **67000+PA**. अगली वेतनवृद्धि की तारीख **एकादश जून 2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय तथा व्यौरा	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कोपाल	15X50 लूप	-	34000	-	अर्जित लाभकुमार	Nie	-
लीलापुर	25X40 भूमि	=	34000	परिवारी लाभकुमार	परिवारी लाभकुमार वार्षिक 10%	Nie	-

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे सामग्रे में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदस्य से यह

अनेकांत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहर महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और

उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

भारीती लाभकुमार

भारीती लाभकुमार

परिवारी लाभकुमार

फ्राम

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **श्रीमती कुमारी लक्ष्मी** 2. वर्तमान धारित पद **स्वाहायक लक्ष्मी**
3. वर्तमान वेतन **61300+DA**... अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय तथा व्यौरे	अभियुक्त
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
ओपाल	रुद्ध	N/1	जानवरी	परिवके नामधर	द्वायां की लाचत रस्सि लोन लेकर 1987-88	—	—
पुठो	पुठो	N/1	—	रवाणा के नामधर	परिवके लाचत रस्सि लोन लेकर 2019-20	—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अत्यकालीन पटटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी: मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदस्य से यह

अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के: परचान् यह घोषणा: पत्र भर कर प्रतुत करें और

उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम

पर या किसी अन्य लाक्षि. के नाम पर पटटे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम **श्रीमती कुमारी लक्ष्मी**पद **स्वाहायक लक्ष्मी**

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ... श्रीमद्दीप दुर्देव ... 2. वर्तमान धारित पद ... सहायक लेफ्ट हॉयल ...
3. वर्तमान वेतन ... 71100/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख ... ३०६.२०२०

फार्म द्वारा

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
01 - ग्राम नाल्मोड़ ओजार	लोट (प्राचीन घर)	20x30 600 वर्गमीटर	2,68,890/-	विना देना	दिनांक 6/1/2014	NIL	

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पूटे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा-पत्र भर कर प्रश्नुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित अद्वा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर यह द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के ब्यौरे है।

हस्ताक्षर

19/2/2020

नाम

कृष्ण - १३२७

पद

रामेश्वर - ३०१९

फॉर्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

ग्रीष्मी ४६
८/११२०१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **अंगवान पाटिल**२. वर्तमान धारित पद **स्थायी नियुक्ति**३. वर्तमान वेतन **7350/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **पुनर्वार्ष - 2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
१. रामेश्वरम (३-३७) पागभुगालिया ओपाल	गृह	—	५० लाख निर्माणित	स्वयं के नाम	स्वयं की वचत, माला और वचत ५८१ से होम लोन, व्याकुलम बोन, आर्द्ध से		
२. अंसल ट्रूट निगड़ि पोरागट चिन्हला ओपाल	१३७२ वर्गफीट	(लाट)	१५, लाख	स्वयं के नाम	स्वयं की वचत एवं PF राशि से		

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मानवे में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्र को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसों विरासत में भिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

अंगवान पाटिल

पद

स्थायी नियुक्ति

प्रथम नियुक्ति

612

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/का. पंचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राम मेलन पटेल** 2. वर्तमान धारित पद **सहायक सचिव**
3. वर्तमान वेतन **800.00/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई 2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा और	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि खेय के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
राहित नगर छेष-उ, गाँठवारी, मोपाल	NIL	30x50 शूरवण क्रमांक 10	लगाइया उन्नीस लाठव दूष लाट उपेक्षा	खेय के नाम पर	वेतन वर्षत	NIL	NIL	

जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में उसीं मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लागभग मूल्य बताया जाए।

*** इसमें अल्पांतर पर्दे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश ग्रामकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अधिकृत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रथेक बाहर नहाने की अवधि के पश्चात् यह धोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अधिकार उसे विरापत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पढ़े या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के बड़ों हैं।

हस्ताक्षर Date 5/12/2020

नाम **राम मेलन पटेल**
पद **सहायक सचिव**

W. 229 - १५५ (उत्तरापन) रु. १०० -

फूली द्वारा
८/८

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श्रामी लीग 2. वर्तमान धारित पद कठोर आ.

3. वर्तमान वेतन पंचाश ग्रेड पे ८ अगली वेतनवृद्धि की तारीख जुलाई २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		**वर्तमान मूल्य	यदि स्थाय के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट आ अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
पिला - सिवनी (झाँसी)	भवन/ प्लाट	—	शाह नदी	८५५	अल्प वृष्टि	NIL	—
		—				—	—

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (अचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रत्युत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हों।

हस्ताक्षर

नाम

श्रामी लीग

पद

कठोर आ.

ओपाल

जिल्हा कानूनी संचय
क्रमांक 8

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो श. श्री लिलाली 2. वर्तमान धारित पद क. ऑफिसर

3. वर्तमान वेतन ५८००-२७००+ अगली वेतनवृद्धि की तारीख १५/०८/२०२०
१२००/-

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया **खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भैंट आ अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
गोपीनाथ वला	२३X१५.	N/L	१८००/- लाल	५३००/- लाल	N/L	—	—
लाल लाल लाल	२०X ३०	N/L	२५००/-	२५००/- लाल	५५००/- लाल	—	—

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे सामने में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक उदास्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अन्ते नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

१९/०८/२०२०
२०५
क. ऑफिसर
१५/०८/२०२०
२०५
क. ऑफिसर

मिलन द्वारा
29/1/2020

फार्म
गोपनीय

19/2/2020

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो गया भीमता विभाग शोषण 2. वर्तमान धारित पद संतायक संविध.

3. वर्तमान वेतन ₹ 5,400/- अगली वेतनवृद्धि की तारीख

द्वारा १५०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
छिपाला - भोपाल तट - छुड़ूर	मुख्य	गृह तथा अन्य भवन भूमि	गृह तथा अन्य भवन भूमि	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे गृह तथा अन्य भवन भूमि	वर्तमान मूल्य 50,000/-	द्वारा खोद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपत्ति से वार्षिक आय N/।

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अरेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अर्जित अश्वा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य जाकित के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

हस्ताक्षर
18/2/2020
नाम भूमिता विभाग विभाग
पद संचय

क्रमांक

*प्रधाम नियुक्ति के समय अवल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **राजनीति सिंह दाहिना** 2. वर्तमान धारित पद **टीमार्गीम अधिकारी, रीवा**

3. वर्तमान वेतन **69,000+ डिंडू** अगली वेतनशृंखला की तारीख **01/07/2020**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा ब्याएँ	गृह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	दसे किस प्रकार अर्जित किया गया ***खोद, पट्टा, घोड़ा, विरापत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की तारीख और जिससे अर्जित की गई हो उसका नाम तथा ब्याएँ	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
01. नीमच	MJK 104 न्यू इन्डिया नगर, नीमच	6.5 X 12.5 = 81.25	NO IDEA वर्गमीटर	एकमें के नाम — do —	म०प्र० शुह निर्गण म०उल से प्राप्त (लैंक से लोन हात)	42,000/-	—	
02. किशनगढ़ (राज)	-	30x45 = 1350 वर्ग फीट	NO IDEA	— do —	नगर परिषद निकानगड़े (खरिद हात)	—	—	
03. सुखी देवनिहाँ माध्याल	-	24x45 = 1200 वर्ग फीट	NO IDEA	— do —	शिगल जोन, मोपाल (LFC HFL लोन हात)	—	—	

जहाँ लाग न हो काढ दीजिए।

** ऐसे पालने में जाहा मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान दियति के सन्दर्भ में साधारण मूल्य वरलाया जाए।

*** इसमें अत्यक्तालैन पट्टा भी सम्मिलित है।

टिप्पणी : साधारण शासकीय सेवक (आवारण) विधम्, 1959 के नियम 16(3) के अधीन प्रथम वेणी, द्वितीय वेणी तथा तृतीय वेणी सेवा के प्रत्येक वरदस्य में यह

अन्वेषित है कि छठे सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक छाते महीने की अर्थात् के परचार यह मौक्का पर कर प्रयुक्त करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अभ्यास उसे विरापत में मिले या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सादस्य के नाम पर या किसी अन्य जाति के नाम पर पड़ते या वंपके पर उसके द्वारा धारित समस्त अवल सम्पत्ति के भूमि हैं।

हस्ताक्षर

नाम

वर्ष

14/01/2020

(आरा एस दाहिना)

टीमार्गीम अधिकारी,

रीवा

(W. 229 - २५५८) रु. १०० -

क्रमांक ८६१
23/11/20

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - पंडित अंजनदेव पांडे

२. वर्तमान पारित पद - भौहायक सचिव (सत्यापन)

३. वर्तमान वेतन रुपये लेना

७१००

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई २०२०

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा स्थीर	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बलताइये कि वह किसके नाम पर आरित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से पारित आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
शहर खेड़वी लाठू खेड़वी (मठ पट)	खेड़वी	1500	राज्यीक	25-27 लाठू कपंये अलुआनिं	खेड़वी व लाठू लाठू श्रीमती कपंये लाठू अंजित	खेड़वी व लाठू की बचत अंजितानिं कृष्णदार से उदाय रायि लैकर साधालिं उंचिल की गयी है।		

जहां ताकू न हो काट दीजिए।
ऐसे माले में जहां मूल्य का भी - सही विधरण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में ताकू मूल्य बताया जाए।

इसमें अत्यकलोन परटे भी सम्भव हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम क्रेणो, द्वितीय क्रेणो तथा तृतीय ब्रेणो भेल के प्रत्येक वर्ष से यह अपेक्षित है कि खुद सेवा से पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रथम क्रेणो वर्ष महाने की अवधि वे परवान् यह योद्धा या युद्ध वाले और उसमें वह उनके स्वाक्षर की तथा उसके द्वारा अंजित अप्यन् उसे विश्वास में कित्ति या उसके बन्दे वा उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य घावित के नाम दा परटे या बन्धक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्थाने हैं।

हस्ताक्षर Parekh ७/१/20

नाम - पंडित अंजनदेव पांडे

पद - भौहायक सचिव (सत्यापन)

मालिकाना - भौहायक सचिव

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

१. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो - परमानन्द पंचोरे

२. वर्तमान पारित पद - एम्हायक म्याचिव (सत्यापन)

फार्म नं ८५११८०
८५११८०३: वर्तमान वेतन रुपैल ले लन
७१०० अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई २०२०

उर जिले, उप संभाग, तालुका तथा प्राप का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा व्याप	ग्रह तथा अन्य भवन	पूर्ण वर्तमान मूल्य	यदि स्वय के नाम पर न हो तो बताइये कि वह किसके नाम पर पारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से पारिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
शहर खोड़वो तालुक खोड़वा झारखण्ड (आ०प्र०)	ध्वनि	1500 तरफ़िद	25-27 लाल्ला कपड़े तालुकानिंदा	स्वयं व परन्ती श्रीमती कुल्ला पंचोरे	स्वयं व परन्ती की लघत नीचार्टफ प्रश्नोदार से उत्ताद रायि लेकर सम्बन्धित उंचित की गयी है।		

जहां लागू न हो काट दीजिए।

ऐसे सम्बन्ध में जहां मूल्य का भूतो-सही विधारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में ताप्ता मूल्य बताया जाए।

इसमें अत्यक्तीन परेट भी सम्भवित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम ब्रेणो, द्वितीय ब्रेणो तथा तीसरी ब्रेणो में के प्रत्येक वर्तमान से यह अपेक्षित है कि घुर सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परिवार यह गोदान प्रदान कर सकते हों और उसमें वह उनके स्वाक्षित की तथा उनके द्वारा अंजित अन्तर्वार से विदाहत होते हैं मिली या उसके बावजूद नाम पर या उनके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य छाकित के नाम पर रहते या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वैरे हों।

स्थान : Panchee १३/०१/२०
नाम : परमानन्द पंचोरे
पद - एम्हायक म्याचिव (सत्यापन)
आ०प्र० झारखण्ड भारत श्रीवाल

फार्म

प्रथम नियुक्ति के समय अद्यता सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

गोपनीय
21/11/20

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह है : *S. S. M. T/VC/21*
2. वर्तमान धारित मद : *राजनगर गढ़वाल बाल विभाग*
3. वर्तमान चेतन : *आगती बोनवृद्धि की तारीख* : *१५/११/२०२०*

उम्मजिले, उप संभाग, तलुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित है।	संपत्ति का नाम तथा व्यौरी		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बहलाई कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<i>राजनगर गढ़वाल</i>	<i>टूटे</i>	<i>nil</i>	<i>10,250/-</i> <i>इसलाल</i> <i>पर्सिलहार</i>	<i>विशेष ज्ञान</i> , <i>नोटर</i> , <i>नाला</i>	<i>मार्च 2009 में कृषि किया</i>	<i>nil</i>	

जहाँ लाग न हो काट दीजिए।

*** ऐसे पालें में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में साधारण मूल्य बहलाया जाए।

*** इनमें अत्यक्तासीम पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आवाल) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रधान श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक संस्थय से यह अरेक्षित है कि खद सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें ओर, उसमें वह उनके स्वाक्षर को तथा उसके द्वारा अर्जित अवयवों उसे विवरित में निलौ या उसके अन्ते नाम पर या उसके परिवार के कित्तो गदस्य के नाम पर या किसी अन्य जाकित के नाम पर एटे या बैरफ़ पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के स्वाक्षर हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

*S. S. M. T/VC/21**राजनगर गढ़वाल बाल विभाग*

W. 229 - २ पाँच रुपये -

म. विधुत निल. राजनगर

फार्म

*पूर्थम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०२०

५७१०८६१

८/१२१०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **रम. उमा अहिंसक** 2. वर्तमान धारित पद **संपत्ति संचालन**
3. वर्तमान वेतन **₹. ८३,२००/-** अगली वेतनवृद्धि की तारीख **जुलाई २०२०**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरा		*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वरलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
(1)	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि					
मावीड़ी कुल्हा, मोपाल	25X40 चैन कुल्हा मोपाल	निरंकु मोपाल	₹. ४५५१ 34,००,००२	वर्धा के नाम से	वर्धा की विवरत/विवेद- कुल्हा से ५८५१ कुल्हा निर्माण लिए हुए मोपाल से खनकरी २००६ में दृष्टि पूर्ण पाया।	निरंकु	वर्धा की निवास

* जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यादेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके द्वारा अर्जित अवश्य उसे विरासत में भिली या उसके अन्दे नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरा दें।

हस्ताक्षर *Om Prakash*
22/7/2020नाम **रम. अहिंसक**
पद **संपत्ति संचालन**

W. 229 - २०१५८) रु. ८०० -

फलाम

*प्रथम नियुक्ति के समय अवश्ल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो ~~जनकपुर राज्य बङ्गलौदे अर्जुन~~

2. वर्तमान धारित पद ~~कार्यपालन प्रत्यक्ष (स्टिप्पिट)~~

प्रीमिट ८

3. वर्तमान चेतन अगली वेतनवृद्धि की तारीख

उस जिले/उप संभाग, तालुका तथा ग्रा. पा. म का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो।	संपत्ति का नाम तथा और	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अंजित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
— २१, A' sector ३ मल्हपुरा ग्रा. पा.	मल्हपुरा (ग्रा. पा.)	—	—	2.00 cr.	खंड	कर्मचारी कीर्ति वा. खालील लाल राज्य बङ्गलौदे अर्जुन विरासत, लिंगपति भूमि ग्राम।	8. ५.३० लारक	
— गिलारामलौदे (ग्रा. पुर्णिमा)	गिलारामलौदे	—	—	१४५ एकड़	१४.५० लारक	प्रीमिट विवरण (प्रीमिट-ग्रामाधीन कार्यालय)	०. २५ लारक	
— दुबारु. पुर्फ. ११ ग्रामाधीन कार्यालय ग्रा. पा. लाल (ग्रा. पा.)	दुबारु	—	—	३०.०० लारक	—	—	१.०० लारक	
— ५८ लालकोट्टी ग्रा. पा.	लालकोट्टी (ग्रा. पा.)	—	—	३.५ cr.	खंड	प्रीमिट विवरण (ग्रा. पा. लाल कोट्टी कराया गया विवरण)	—	

* जहाँ लाल न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहाँ मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में लगाभग मूल्य बतलाया जाए।

*** इसमें आ याकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्य देश शासकीय सेवक (आवारण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदस्य से यह अर्यों तत है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व को तथा उसके द्वारा अंजित अधिकार उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अवश्ल सम्पत्ति के ब्लैरे हैं।

हस्ताक्षर

नाम

पद

मृ. श. श. अर्जुन

कार्यपालन प्रत्यक्ष (स्टिप्पिट)
ग्रा. पा. लालकोट्टी ग्रा. पा. लाल, ग्रा. पा.

W. 229 - २ (पाँचवां) त्रै ७८ -

फार्म

*प्रथम नियुक्ति के समय अचल सम्पत्ति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

पूरकी राजेश

2. वर्तमान धारित पद

(गोपनीय)

3. वर्तमान वेतन

14618

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

जुलाई 2020

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्यौरे		**वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
कोपाल कोलार रोड	गृह	—	28000/-	रुपये	P.T द्वारा दिए गए रुपये इसे लोन लेकर कोपाल का घर कोपाल		

* जहां लागू न हो काट दीजिए।

** ऐसे मामले में जहां मूल्य का सही-सही निर्धारण करना संभव न हो, वहां वर्तमान स्थिति के सन्दर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

हस्ताक्षर

*** इसमें अल्पकालीन पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : मध्यप्रदेश शासकीय सेवक (आचरण) नियम, 1959 के नियम 18(3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक तदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बाहु महीने की अवधि के पश्चात् यह घोषणा भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वाक्षित्र को तथा उसके द्वारा अर्जित अथवा उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित समस्त अचल सम्पत्ति के व्यौरे हैं।

नाम

पद

पूरकी राजेश
गोपनीय

५८६४

क्रमांक

*प्रथम नियुक्ति के समय अवधि राज्यति का विवरण, वर्ष २०

1. अधिकारी/कर्मचारी का (पूरा) नाम तथा उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो

अभियंता कुमार बद्रप्रसाद

वर्तमान धारित पद

3. वर्तमान वेतन

अगली वेतनवृद्धि की तारीख

०१-०४-२०२०

उस जिले, उप संचार, तालुका तथा प्राम का नाम, जिसमें संपति स्थित हो।	संपति का नाम तथा व्यौरी	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	*वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो वर्तमानमें कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्तव्यादी से व्या संबंध है	उसे किस प्रकार अनिंत किया गया ***खोद, पट्टा, बैधक, विरापत, भेट या अन्य किसी प्रकार से तथा अवैत की तारीख और जिससे अधिक तो गई हो उसका नाम तथा व्यौरा	संपति से वार्षिक आय	अभियुक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	
१. लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला (वापर)	लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	पट्टी लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला से लाय कुमार लाय कुमार से लाय कुमार	पट्टी लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला से लाय कुमार लाय कुमार से लाय कुमार	विवाहीक लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला से लाय कुमार लाय कुमार से लाय कुमार	३६,०००/- ए. ए. ए.	ए.
२. लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला (वापर)	लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला	ग्रह तथा अन्य भवन	भूमि	पट्टी लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला से लाय कुमार लाय कुमार से लाय कुमार	पट्टी लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला से लाय कुमार लाय कुमार से लाय कुमार	पट्टी लाय कुमार जिला-जल्ला कलाला से लाय कुमार लाय कुमार से लाय कुमार	२५,०००/- बड़ा नाम बड़ा नाम	बड़ा नाम बड़ा नाम

राज्य न हो काट दीजिए।

ऐसे पालने में जाहा मूल्य का सही-सही निधारण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान विधित के सन्दर्भ में साधारण मूल्य वर्तलाया जाए।

इसमें अत्यकालीन घटने भी सम्भवित है।

टिप्पणी : माध्यमिक शासकीय सेवक (आधारण) विधम, 1959 के नियम १८(३) के अधीन प्रधन श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक ददर्श से यह

अनेकांश है कि वह सेवा में पहली नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बारह महीने की अवधि के परचार् यह मौवर्या-पत्र भर कर प्रदूत करें और

उसमें वह उनके स्वामित्व का तथा उसके हात में राज्यति को दिलाया या उसके अन्तर्वासन में दिलाया या उसके अन्तर्वासन में दिलाया या उसके अधिकार के विवाहीक तारीख के बीचे है।

००.२२९-२५५१ डॉ. न.००-

हस्ताक्षर

नाम

वर्ष

लाय कुमार कुमार
लाय कुमारलाय कुमार बड़ा नाम
लाय कुमार बड़ा नाम